की बेदखली वापस लेता हूं क्योंकि अब वह मेरे कहे-सुने में है।

amarujala.com

बड़ी देनदारियों का आंकलन कर बजट तैयार कर रही है। ब्यूरो

यूको बैंक UCO BANK

भारत सरकार का उपक्रम (A Govt. of India Undertaking)

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी बिक्री सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु जन सूचना।

ईएमडी (एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा) एवं दस्तावेजों को जमा करने हेतु अंतिम तिथि व समय (केवल ऑनलाईन मोड)- 21.04.2022 को अप. 5.00 बजे तक

संपत्तियों के निरीक्षण हेतु तिथि : 14.04.2022 को पूर्वा. 10:00 बजे से अप. 05:00 बजे से

चूंकि, यूको बैंक, सम्बन्धित शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रस्तावित (सरफेसी) अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत **"जैसे है जहां है आधार एवं "जैसे है जो है आधार" एवं "जो भी है जहां है आधार" एवं "बगैर रिकोर्स आधार"** पर उसे बेचने के आधार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना की निम्न सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। बिक्री वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।"

शाखा/ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) का नाम शाखा कार्यालय : मेहली	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि बकाया राशि (प्रत्याभूत ऋण)	सांकेतिक/भौतिक कब्जा की तिथि संबंधित अधिकारियों का विवरण	25% जमा करने हेतु खाता सं. एवं आईएफएससी कोड	आरक्षित कीमत ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
श्री संदीप चौहान	श्री संदीप चौहान के नाम में मोहल संकट मोचन, तहसील शिमला (ग्रामीण) जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित खाता खतौनी सं. 59/82 खसरा सं. (पुराना) 1262/515/1/2 एवं (नया) 361/3 माप 0-01-50 हैक्टेयर में शामिल भूमि के भाग पर बनी तीन मंजिला संरचना के 48.55 वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्र वाली भूतल की आरसीसी फ्रेम संरचना।	12.11.2021 20,66526.49 रु. के साथ अतिरिक्त ब्याज एवं आकस्मिक प्रभार कीमतें इत्यादि	08.02.2022 (भौतिक) प्राधिकृत अधिकारी श्रीमती गरिमा गोयल मो. 86794-74005 शाखा प्रबंधक- सरला मारवाही, मो. 70181-65387 ईमेल : mehlis@ucobank.co.in	खाता सं. 29841030080018 आईएफएससी कोड UCBA0002984 खाते का नाम: कोई धारित खाता नहीं	रु. 16,00,000/- रु. 1,60,000/- रु. 10,000/-	22.04.2022 को अप. 01.00 बजे से अप. 05.00 बजे (10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)
श्री करणजीत सिंह	श्री करणजीत सिंह के नाम में मोहल संकट मोचन, तहसील शिमला (ग्रामीण) जिला शिमला में स्थित 0-01-50 हैक्टेयर में खाता खतौनी सं. 59/82, खसरा सं. (पुराना) 1262/515/1/2 तथा (नया) 361/3 में शामिल भूमि के भाग पर बनी तीन मंजिला संरचना के 38.00 वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्र वाला (शिमला साईड की ओर) प्रथम तल की आरसीसी फ्रेम संरचना।	12.11.2021 13,69,287.37 रु. के साथ अतिरिक्त ब्याज एवं आकस्मिक प्रभार कीमतें इत्यादि	08.02.2022 (भौतिक) प्राधिकृत अधिकारी श्रीमती गरिमा गोयल मो. 86794-74005 शाखा प्रबंधक- सरला मारवाही, मो. 70181-65387 ईमेल: mehlis@ucobank.co.in	खाता सं. 29841030080018 आईएफएससी कोड UCBA0002984 खाते का नाम: कोई धारित खाता नहीं	रु. 13,00,000/- रु. 1,30,000/- रु. 10,000/-	22.04.2022 को अप. 01.00 बजे से अप. 05.00 बजे (10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)

ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें : (1) बोली निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाईन जमा कराई जाएगी। **ऑनलाईन बोलियां https://ibapi.in** पर जाने द्वारा जमा कराई जा सकती है। (2) बोलियां, बोली प्रपत्र में संलग्न अनुसार पहचान दस्तावेजों की प्रति के साथ जमा कराई जाएगी। मूल पहचान दस्तावेज को मांगे जाने पर दिखाना होगा। (3) असेट मूल्य आरक्षित कीमत का 10 प्रतिशत प्रत्येक खाते के प्रति निर्दिष्ट खाते विवरण हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर द्वारा ईएमडी हेतु दी जानी चाहिए अथवा ईएमडी एकमात्र बोलीदाता की स्थिति में बिंदु संख्या 6 में निर्दिष्ट वेबसाइट पर जाने द्वारा नीलामी प्रदाता के ई-वॉलेट में भी जमा कराई जा सकती है, कोट की गई बोली राशि आरक्षित कीमत से एक बोली अधिक होनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी एक अथवा अधिक बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अथवा नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (4) अचल संपत्तियों की बिक्री पर सफल बोलीदाता को बिक्री संचालित कर रहे प्राधिकृत अधिकारी के खाते के प्रति निर्दिष्ट अनुसार बैंक खाते को आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के द्वारा बिक्री कीमत का पच्चीस प्रतिशत (25%) की जमा का तुरंत भुगतान करना होगा। अन्यथा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा एवं उसे पुनः बिक्री के लिए रखा जाएगा। (5) सफल बोलीदाता को उनके पक्ष में बिक्री सुनिश्चित होने के 15 दिनों (15) के भीतर शेष बोली राशि जमा करानी होगी। अगर सफल बोलीदाता कथित अवधि के भीतर शेष बोली राशि जमा कराने में असफल होता है तब जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा संपत्ति पुनः बेची जाएगी। (6) इच्छुक बोलीदाता जिसे लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग, **बोली दस्तावेज जमा कराने, प्रशिक्षण/प्रदर्शन, ऑनलाईन अंतः बोली पर नियम शर्तों इत्यादि में सहायता चाहिए वह वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp. पर जा सकते हैं। हेल्पलाईन नं. 03322831002, 03322891401, 03322891005, 03322901004, 03322895064 संपत्तियों संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी अथवा शाखा प्रबंधक को संपर्क कर सकते हैं।** जैसे कि प्राधिकृत अधिकारियों/शाखा प्रबंधकों का विवरण उपरोक्त प्रत्येक खाते के प्रति निर्दिष्ट है। बिक्री तब सुनिश्चित की जाएगी जब ऋणकर्ता सफल बोलीदाता को बिक्री सुनिश्चित पत्र जारी कर रहे प्राधिकृत अधिकारी से पहले अन्य खर्चों के साथ बैंक संविदात्मक बकाया राशि हेतु निविदित करेगा, ऐसी स्थिति में बैंक सफल बोलीदाता द्वारा दी गई संपूर्ण राशि को बिना ब्याज के साथ वापस दे देगा। (8) सरकार/स्थानीय निकाय को देय सांविधिक बकाया राशि/देनदारी इत्यादि अगर कोई है वह सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। सफल बोलीदाता को एक प्रतिशत का टीडीएस वहन करना होगा अगर संपत्ति पचास लाख रुपये से अधिक होती है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नीलामी में भाग लेने से पहले सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://ibapi.in. पर जाएं अथवा संबंधित शाखा प्रबंधक को संपर्क करें। सभी प्रत्याशित बोलीदाता को वेबसाईट पर दी गई सभी शर्तों को पढ़ना होगा एवं समझना होगा तथा सभी शर्तों का पालन भी करना होगा। नीलामी बिक्री प्रतिभूति ऋणदाता बैंक के सुनिश्चयन के विषय में होगी। संपत्तियों के किसी विशेष विवरण में अतिरिक्त पूछताछ, दस्तावेजों एवं/बिक्री की नियम एवं शर्तों के प्रमाणन में अगर कोई अतिरिक्त पूछताछ है तो वह कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार संबंधित शाखा प्रबंधकों से प्राप्त की जा सकती है।

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत सांविधिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

ऋणकर्ताओं/गारन्टरों को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वे बिक्री सुनिश्चित होने से पहले तिथि तक ब्याज एवं आनुषंगिक खर्चों के साथ उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार राशि का भुगतान कर दें अन्यथा संपत्तियां पुनः नीलामी/बेची जाएंगी तथा शेष बकाया राशि अगर कोई है ब्याज एवं लागत सहित वसूली जाएगी।

दिनांक : 16.03.2022 प्राधिकृत अधिकारी